

प्रेषक,

३० कोठपानी,
अपर सचिव,
सत्तरासूख पत्र शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संभालक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, हन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी एंड राहून।

वन एवं पर्यावरण अनुमाय—४

विषय: जनपद बागेश्वर में काण्डा-जेठाई मोटर मार्ग से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.८२, हॉ० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या २८५३ / FP/UK/RDAO/9465/2015, दिनांक २३ मार्च, २०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद बागेश्वर में काण्डा-जेठाई मोटर मार्ग से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.८२, हॉ० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की रैखिक समीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-११-०९/९८-५५० सी० दिनांक ०७ नवम्बर, २०१४ एवं पत्र संख्या एफ०न०-११-०९/९८-५५० सी० दिनांक १३ फरवरी, २०१४ में निर्हित प्राक्थानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योतित शर्तों/ प्रतीक्षाओं के अधीन प्रदान करते हैं।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के घट में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ३.६४, हॉ० सिविल सौधम भूमि पर क्षतिपूरक युक्तों का यथोधित पूँजीपत्रण एवं १० वर्षों तक सखराखाप हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि का विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आवश्यकता/संक्षिप्त वन भूमि चोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही संदानिक रैकॉर्ड निर्गत नानी जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुतवित स्थल के आस-पास रिका पड़े स्थानों पर नियमानुसार यथोधित युक्तों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख रखाय हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भानीय डब्ल्यूटम न्यायालय के रिट मिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अंतर्गत आईएएस०-५५६ एवं भारत सरकार पत्र सं०-५-३/२००७-एफ०सी० १८०२/२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०पी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय जा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि राज्यम स्तर से यदि एन०पी०पी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५ ३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुबंधों के अनुराग एन०पी०पी० तथा दूसरी सभी नियिधियों प्रतिपूर्ति पैकारेपण, यथोधित प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तात्पर्य निकाय के सेवा संख्या एस०य०१०-२५२२९, कापरिशीम बैंक (भारत सरकार का उपकर), लालू-११ भूतल सी०जी०ओ० काप्टलेक्स, फैज़-१, लौधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पावरी की छायाप्रति, जगा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक की लापाप्रति सहित प्रस्ताव एवं संदर्भ में अनुपालन आव्याप (जिसमें जमा की गई धनराशि का मददार विवरण अर्थात् एन०पी०पी०, क्षतिपूरक युक्तीपत्रण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देश धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उनलक्ष्य कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति बान्ध होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-पैक्षिक के सुझावों ऊ कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता एजेन्सी के हाथ मन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी नियमित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा अरांतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय
(प्रधकरण)
अपर संधिय।

संख्या: 176 (प्र-4-15/1(81)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (छन्दोधीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आई० जाइ०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हक्कादारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग / पीएमजीएसएसई०, उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षक, उत्तरी बुमांडे वृत्ति, अल्मोड़ा।
5. विलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय बनाश्चिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिकारी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
8. नियंत्रक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस काशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गाहू फाईल।

आज्ञा से,
/१८.८.१८
(रघुम सिंह)
उप सचिव